भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2301
उत्तर दिनांक 12/03/2026 को दिया गया

देश में दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार

2301. डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सच है कि भारत के पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का भंडार है, जो लगभग 6.9 मिलियन मीट्रिक टन है, लेकिन इसका दुर्लभ पृथ्वी खनिज भंडार क्षेत्र वर्तमान में अविकसित है, जो वैश्विक उत्पादन के 1 प्रतिशत से भी कम है और देश अपनी आवश्यकताओं के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए भावी रूपरेखा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) व (ख) हां, भारत के पास विश्व में तीसरे सबसे बड़े दुर्लभ मृदा संसाधन हैं (यूएसजीएस खनिज पदार्थ सारांश, जनवरी, 2025)। डीएई की एक संघटक इकाई परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), ने देश में निम्नलिखित आरईई संसाधनों की स्थापना की है।

i. केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों में तटीय समुद्री तट और टेरी / लाल बालू क्षेत्रों में और झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुछ भागों में अंतर्देशीय जलोढ़ क्षेत्रों में पाए जाने वाले 13.15 मिलियन टन मोनाज़ाइट संसाधन जिसमें लगभग 7.23 मिलियन टन समतुल्य दुर्लभ मृदा ऑक्साइड (आरईओ) है।

ii. अंबाडुंगर क्षेत्र, छोटा उदेपुर जिला, गुजरात और भाटीखेड़ा और दंतला क्षेत्र, बालोतरा (पूर्ववर्ती बाड़मेर) जिला, राजस्थान के कठोर शैल इलाकों में 1.29 मिलियन टन *स्वस्थाने* दुर्लभ मृदा ऑक्साइड (आरईओ)।

iii. छत्तीसगढ़ और झारखंड के नदी तटीय प्लेसर निक्षेपों में लगभग 2% ज़ेनोटाइम (इट्रियम और भारी दुर्लभ मृदा तत्वों का एक फॉस्फेट खनिज) युक्त 2,000 टन भारी खनिज सांद्र।

दुर्लभ मृदा का भारतीय संसाधन मुख्य रूप से कम ग्रेड का है और यह रेडियोसक्रियता से जुड़ा हुआ है जिससे निष्कर्षण लंबा, जटिल और महंगी प्रक्रिया बन जाता है। इसके अलावा, मोनाज़ाइट संसाधन में मुख्य रूप से हल्के दुर्लभ मृदा तत्व पाए जाते हैं जबकि भारी दुर्लभ मृदा तत्व आर्थिक रूप से निष्कर्षण योग्य मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। जबकि भारत में खनन से लेकर पृथक्करण और शोधन से लेकर ऑक्साइड रूप तक की सुविधाएं मौजूद हैं और धातु निष्कर्षण की क्षमता विकसित हो चुकी है, मिश्र धातु, चुंबक आदि से आगे औद्योगिक पैमाने की सुविधाएं (मध्यवर्ती) उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, पर्याप्त दुर्लभ-मृदा संसाधनों के बावजूद, आरई मूल्य श्रृंखला में मध्यवर्ती और डाउनस्ट्रीम उद्योगों के अभाव के कारण उत्पादन क्षमता सीमित स्तर पर है।

(ग) पिछले पांच वर्षों में आरई क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम और आरई क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की भावी कार्ययोजना निम्नानुसार है:

i. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को महत्वपूर्ण खनिजों (दुर्लभ मृदा तत्वों सहित) की दीर्घकालिक स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करने और खनिज अन्वेषण और खनन से लेकर लाभकारीकरण, प्रसंस्करण और आयु-समाप्त-उत्पादों से पुनः प्राप्ति तक सभी चरणों को शामिल करते हुए भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

ii. खान मंत्रालय ने दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) के 7 ब्लॉकों सहित 46 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने अन्वेषण लाइसेंस के 7 ब्लॉकों की भी सफलतापूर्वक नीलामी की है, जिसमें आरईई के दो ब्लॉक शामिल हैं।

iii. एनसीएमएम के तहत, मलबे/खनन अपशिष्ट/उड़न राख/लाल मिट्टी आदि से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए पायलट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश दिनांक 14.11.2025 को जारी किए गए। इस योजना के तहत, बहु-स्रोत कच्ची सामग्री से आरईई पृथक्करण से संबंधित अलौह प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (एनएफटीडीसी) की एक परियोजना को पहले ही अनुमोदन दिया जा चुका है।

iv. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनसीएमएम के तहत महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण (आरईई सहित) को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। योजना के दिशानिर्देश जारी किए गए और योजना दिनांक 02.10.2025 को शुरू की गई।

v. खान मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में नई परियोजनाओं में महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण और मौजूदा खानों के मलबे, डंप और खनिज अवशेष से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए एक नीति का निर्धारण भी किया है, जिसका उद्देश्य नई अन्वेषण परियोजनाओं के साथ-साथ मौजूदा खानों से महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों का सुव्यवस्थित निर्धारण, मूल्यांकन और पुनर्प्राप्ति को सुगम बनाना है।

vi. खान मंत्रालय के तत्वावधान में एक संयुक्त उद्यम कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य विदेशों में लिथियम, कोबाल्ट, आरईई आदि जैसी खनिज संपत्तियों का अधिग्रहण करना है।

vii. सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान 25 खनिजों पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है और दो खनिजों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) कम कर दिया है। बजट 2025-26 के दौरान, भारत सरकार ने कोबाल्ट चूर्ण और अपशिष्ट, लिथियम-आयन बैटरी, सीसा, जस्ता और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के स्क्रैप को मूल सीमा शुल्क से छूट प्रदान की। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क छूट का प्रस्ताव किया गया है।

viii. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 26 नवंबर 2025 को 'सिंटरित दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना' को मंजूरी दी है और इसे दिनांक 15 दिसंबर 2025 को अधिसूचित किया गया। इस पहल का उद्देश्य भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की एकीकृत दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक (आरईपीएम) विनिर्माण स्थापित करना है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और वैश्विक आरईपीएम बाजार में भारत का स्थान एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरे। योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 7,280 करोड़ रुपए है, जिसमें पांच (5) वर्षों के लिए आरईपीएम बिक्री पर 6,450 करोड़ रुपए के बिक्री से जुड़े प्रोत्साहन और कुल 6,000 एमटीपीए की आरईपीएम विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 750 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी शामिल है।

ix. विशाखापट्टनम (विज़ाग) में दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक संयंत्र (आरईपीएम) स्थापित करने की पहल की जा रही है जिसमें स्वदेशी रूप से Sm-Co (समेरियम-कोबाल्ट) चुंबक का उत्पादन किया जाएगा जिनका उपयोग परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में किया जाता है।

x. खनिज अन्वेषण, उत्पादन में तेजी लाने, निजी निवेश बढ़ाने और ऊर्जा संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एमएमडीआर अधिनियम 1957 में संशोधन।

xi. एमएमडीआर अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग बी में अधिसूचित परमाणु खनिजों और भाग डी में अधिसूचित महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की सभी खनन परियोजनाओं को ईआईए अधिसूचना 2006 के खंड 7(III) (आई) के उप खंड (एफ) के संदर्भ में सार्वजनिक परामर्श से छूट दी गई है।

*****